☎ 240289.240290
(07432) 241603
E-mail: ccbjha@raj.nic.in

झालावाड केन्द्रीय सहकारी बैंक लि0, झालरापाटन

प्रस्ताव संख्या. 4 दिनांक.26.10.2002

प्रस्ताव- '' ज्ञानसागर ऋण योजना '' लागू करने पर विचार-

निर्णय- प्रबन्ध निदेशक, दी राजस्थान स्टेट को-आपरेटिव बैंक लि0, जयपुर के पत्रकमांक आरएससीबी/पी.एण्ड डी./2002-03 / एफ.8(16)7353 दिनांक 08.10.2002 के अनुसार उच्च तकनीकी/ व्यावसायिक शिक्षा के लिए सहकारी विभाग द्वारा प्रारंभ की गई '' ज्ञान सागर ऋण योजना'' बैंक में लागू करने का निर्णय लिया जाता है। योजना के मुख्य बिन्दु निम्न प्रकार है-

1- उद्देश्य-

यह योजना प्रदेश के ग्रामीण व शहरी छात्र-छात्राओ को व्यावसायिक/ तकनीकी पाठ्यक्रमो में प्रवेश लेने पर अभिभावक को अथवा स्वयं को वित्तीय सुविधा उपलब्ध करवाने व उच्च शिक्षा प्राप्त करने में उनकी सहायता करने के उद्देश्य से बनायी गयी है जिससे वे आर्थिक अभाव के कारण तकनीकी / व्यावसायिक शिक्षा से वंचित न रहे तथा अपनी प्रतिभा के अनुरूप शिक्षा प्राप्त कर अपने भविष्य को उज्जवल बना सके। इसके साथ ही वेतनभोगी / पेशेवर व्यवसायी (प्रोफेशनल्स) भी उच्च शिक्षा हेतु इस योजनान्तर्गत ऋण प्राप्त कर सकेंगे।

योजनान्तर्गत तकनीकी / व्यावसायिक पाठयक्रमों जैसे इन्जिनियरिंग, आईटीआई, पोलोटेक्निक डिप्लोमा, मेडिकल, डेन्टल, बी.बी.ए., एम.बी.ए. बी.सी.ए. एम.सी.ए., सी.ए., एफ.सी.ए., होटल मैनेजमेन्ट, कम्प्यूटर, ई-कार्मस, तथा अन्य हाईटेक आदि पाठ्यक्रमो में डिग्री / डिप्लोमा प्राप्त करने हेतु राज्य सरकार / भारत सरकार के मान्यता प्राप्त शिक्षण संस्थाओ से शिक्षा प्राप्त करने हेतु ही ऋण प्रदान किया जावेगा ।

यदि कोई अभ्यार्थी विदेश में भी किसी मान्यता प्राप्त शिक्षण संस्था से तकनीकी / व्यावसायिक पाठ्यक्रमो की शिक्षा प्राप्त करना चाहता है तो वह भी इस योजना का लाभ उठा सकेगा । इस ऋण के अन्तर्गत ट्यूशासन फीस, होस्टल फीस, किताबे, उपकरण, ड्रेस, मैस चार्जेज आदि हेतु तथा विदेश में शिक्षा प्राप्त करने पर यात्रा व्यय हेतु भी निर्धारित मद में व्यय होने वाली धनराशि(कोस्ट आफ स्टडी) मानी जावेगी तथा कोस्ट आफ स्टडी के आधार पर ऋण की धनराशि का निर्धारण किया जावेगा।

2- ऋण हेतु पात्रता-

2.1 इस योजनान्तर्गत उन्हीं छात्र-छात्राओ के लिये ऋण प्रदान किया जा सकेगा जो स्वयं तथा जिनके अभिभावक भारतीय नागरिक है तथा बैंक के कार्य क्षैत्र के निवासी है। इसके लिये उन्हें पते का प्रमाण देना होगा।

2.2 छात्र/छात्रा की आयु 18 वर्ष से 30 वर्ष के मध्य होनी चाहिये तथा अभिभावक की अधिकतम आयु 55 वर्ष होगी।

2.3 इस योजनान्तर्गत स्वयं वेतनभोगी अथवा पेशेवर व्यवसायी(प्रोफेशनल्स) को भी ऋण दिया जा सकेगा । उस दशा में अधिकतम आयु सीमा 50 वर्ष होगी। ऐसा ऋण स्वयं लाभार्थी द्वारा ही चुकाया जावेगा।

2.4 योजनान्तर्गत ऋण के उद्देश्य में वर्णित तकनीकी/ व्यावसायिक पाठयक्रमो में प्रवेश या अध्ययनरत होने का प्रमाणपत्र प्रस्तुत करने पर ही ऋण हेतु पात्र माना जावेगा अथवा जिन्होने ऐसे पाठयक्रमो हेतु निर्धारित प्रवेश परीक्षा उत्तीर्ण करली हो एवं जिन्हे ऐसे पाठयक्रमो में प्रवेश हेतु पात्र माना गया हो, उन्हे भी इस प्रतिबन्ध के अधीन ऋण का पात्र माना जावेगा एवं इस संबंध में संबंधित शिक्षण संस्थान का प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा।

2.5 इस योजना में लाभ हेतु प्रस्तावित अभ्यार्थी के माता पिता / विधि मान्य संरक्षक की तथा स्वयं द्वारा उच्च शिक्षा प्राप्त करने की दशा में स्वयं लाभार्थी ऋणी की आय इतनी पर्याप्त एवं निरंतरता किस्म वाली होनी चाहिये कि वे ऋण चुकाने में समर्थ हो सके ।

2.6 इस हेतु आय का प्रमाणन आयकर निर्धारण रिटनर्स,नियोक्ता से जारी आय प्रमाण -पत्र जिसमें कटौतियो का भी पूर्ण विवरण हों या इसी तरह के अन्य किसी दस्तावेजात से किया जा सकेगा । स्वयं के व्यवसाय वाले व्यक्ति, लघु व्यवसायी या कृषक जिनकी आय के बारे में कोई विशिष्ठ दस्तावेज होना प्रचलन में नहीं है, वहां बैंक अन्य उपलब्ध स्त्रोतो से अभ्यार्थी के माता-पिता/ संरक्षक की आय की जानकारी कर सकेगा तथा इस बाबत निश्चित की गई आय के संबंध में पूरा विवरण स्वीकृति पत्रावली में रखा जावेगा ।

3- ऋण की सीमा-

3.1 अधिकतम ऋण सीमा अभिभावक तथा ऋणी की कुल औसत मासिक आय के 15 गुणे तक या कोस्ट आफॅ स्टडीज की 90 प्रतिशत जो भी कम हो, जिसकी अधिकतम सीमा भारत में शिक्षा प्राप्त करने पर रूपये 3.00लाख तथा विदेश में शिक्षा प्राप्त करने पर रूपये 5.00लाख तक होगी।

3.2 मार्जिन मनी- इस प्रकार के ऋणो के लिये मार्जिन मनी 10 प्रतिशत निर्धारित की गई है।

3.3 यह टर्म लोन होगा जिसकी राशि बैंक को कॉलेज / संस्थान द्वारा दिये गये एस्टीमेट (वास्तविक दस्तावेज) के आधार पर उच्चतम सीमा के अध्यधीन होगी।

पुस्तकों,उपकरणों,ड्रेस, होस्टल, मेंस चार्जज के लिये एस्टीमेंट संस्था द्वारा नहीं दिये जाने की दशा में ऋणी का घोषणा पत्र जिसमें संभावित व्यय का पूर्ण विवरण हो, स्वीकार्य होगा।

3.4 यदि अभिभावक द्वारा स्वयं के कोषों से उपरोक्त वर्णित उद्देश्यों के लिये राशि व्यय की गई है तो 2 माह के अन्दर अन्दर बैंक इस प्रकार के व्ययों के लिये पुनर्भरण करते हुए ऋण प्रदान कर सकता है।

4- ब्याज दर-

इस ऋण हेतु मुद्रा बाजार के अनुसार ब्याज दर नियंत्रित होगी। वर्तमान में ब्याज दर निम्न रहेगी-

4.1 रूपये 2.00 लाख तक के ऋण पर — 11.5 प्रतिशत वार्षिक

रूपये 2.00लाख से अधिक के ऋण पर — 12.00प्रतिशत वार्षिक

4.2 यदि योजनान्तर्गत ऋण छात्रा की शिक्षा हेतु लिया जाता है तो इस प्रकार के ऋण पर निर्धारित ब्याज दर में 0.50 प्रतिशत की छूट दी जावेगी।

4.3 ऋण राशि पर ब्याज की गणना तिमाही आधार पर की जावेगी एवं ब्याज की गणना पूर्व में कर मूल व ब्याज की समान मासिक किश्त बनाकर निर्धारित कर दी जावेगी।

4.4 ऋणी को मासिक किश्त के चैक्स बैंक को प्रदान करने होगें तथा ब्याज एवं ऋण की किश्त की वसूली हेतु पर्याप्त धनराशि अपने बचत खाते में रखनी होगी । पर्याप्त राशि के अभाव में ब्याज की वसूली ऋण खाते में जोड दी जावेगी ।

4.5 प्रत्येक तैमास में ऋण खाते में ब्याज की राशि में जोडी जावेगी अतएवं ऋणी के लिये यह आवश्यक है कि वह यह सुनिश्चित करें कि प्रति माह उसके बचत खाते से राशि ऋण खाते में जमा हो रही है। अन्य दशा में ब्याज पर ब्याज का भार भी उसे वहन करना होगा ।

4.6 किश्तो में चूक करने की दशा में ऋणी द्वारा अवधिपार राशि पर बैंक को 2 प्रतिशत दण्डनीय ब्याज देना होगा।

5- ऋण अग्रिम-

5.1 सेमेस्टर/वर्ष के खर्चो, जिसकी विगत बैंक को उपलब्ध करायी जावेगी, के आधार पर आनुपातिक रूप में ऋण अग्रिम किया जावेगा।

5.2 छात्र-छात्राओं के लिये ऋण प्राप्त करने की दशा में ऋण अग्रिम से पूर्व अभिभावक से यह प्रमाण पत्र लिया जावेगा कि जिसके अध्ययन हेतु ऋण लिया गया है / लिया जा रहा है, वह छात्र / छात्रा निरन्तर अध्ययनरत है। साथ ही अभिभावक द्वारा छात्र/ छात्रा की पूर्व सेमेस्टर/ वर्ष की अंकतालिका व अन्य प्रमाण भी प्रमाण स्वरूप प्रस्तुत करने पर ही ऋण की आगामी किश्त जारी की जावेगी।

6- **ऋण की अवधि व पुर्नभुगतान-**

6.1 योजनान्तर्गत पाठयक्रम के लिए ऋण सेमेस्टर / वर्ष के आधार पर आनुपातिक रूप से अग्रिम कियां जावेगा। वर्ष के लिये अग्रिम ऋण की वसूली (मूल व ब्याज)अधिकतम 48 समान किश्तो में की जावेगी।

6.2 ऋण अदायगी की अवधि पाठयक्रम की अवधि के अनुरूप निर्धारित की जावेगी। सेमिस्टर/ वर्ष के आधार पर अग्रिम किये जाने वाले सम्पूर्ण ऋण का चुकारा प्रथम वितरित ऋण के 5 वर्ष के भीतर करना होगा।

6.3 अभिभावक को यह विकल्प उपलब्ध होगा कि यदि वह चाहे तो कुल स्वीकृत राशि को 5 वर्ष की समान किश्तो में चुका सकेगा।

6.4 ऋण की प्रथम किश्त ऋण प्राप्त करने के एक वर्ष पश्चात्! प्रारंभ हो जावेगी।

6.5 ऋणी किश्तो से अधिक राशि ऋण खाते में चुकाने के लिये स्वतंत्र होगा एवं इस पर किसी प्रकार का प्रभार वसूल नहीं किया जावेगा।

7- प्रतिभूति-

7.1 ऋणी द्वारा 2 व्यक्ति जो कि बैंक को मान्य हो, की गारंटी निर्धारित प्रारूप में प्रस्तुत करनी होंगी।

7.2 उपरोक्त के अतिरिक्त प्रत्येक ऋणी/ अभिभावक को ऋण राशि के डेढ गुणा मूल्य वाली अचल सम्पत्ति यथा मकान,जमीन,खेंतीहर जमीन, दुकानो आदि के कागजात इक्वीटेबल मोर्गेज बंधक रखने होगें । इसके अतिरिक्त चल सम्पत्ति में एलआईसी पालिसी, बाण्ड,एनएससी सर्टीफिकेट एवं मूल्यवान सोने के जेवरात भी बंधक रखें जा सकते है। इनकी विधिक जाँच एवं मूल्याकंन बैंक के मान्यता प्राप्त वकील / मूल्याकंनकर्ता से ऋणी के खर्चे पर करवाया जावेगा।

7.3 बैंक यदि चाहे तो उपरोक्त रूप में तृतीय पक्षकार की सिक्यूरिटी भी प्राप्त कर सकेगा ।

7.4 वैतनिक अभिभावको द्वारा नियोक्ता की गारंटी देने की स्थिति में ग्रेच्युटी एवं सेवानिवृति पर मिलने वाले परिलाभ की राशि को प्रतिभूति के रूप में सम्मिलित किया जा सकता है।

8- **अन्य शर्ते** -

8.1 अभिभावको को यह घोषणा पत्र देना होगा कि उपयुक्त उद्देश्य हेतु अन्य किसी भी वित्तीय संस्था से ऋण नहीं लिया गया है।

8.2 योजनान्तर्गत एक परिवार के अधिकतम दो छात्र/ छात्राओं हेतु ऋण दिया जावेगा परन्तु किसी अभिभावक द्वारा पूर्व के दो ऋण शिक्षा के लिये , लिये गये है व उनका भुगतान संतोषजनक है तथा तीसरे ऋण की आवश्यकता यदि छात्रा के अध्ययन हेतु है तो ऐसे मामले में तीसरा ऋण भी दिया जा सकेगा।